# uxj ifj"kn uwjiqj] ftyk dkaxM+k] fgekpy izns'k ds ys[kkvksa dk vads{k.k ,oa fujh{k.k izfrosnu

## vof/k 04@2007 ls 03@2011

## Hkkx&,d

iSjk 1 ¼d½ izkjfEHkd %&

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिषों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255(1) में संषोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेष सरकार की अधिसूचना संख्याः 1–376/81–फिन(एल0ए0)खण्ड–IV, दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेषक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर परिषद नूरपुर, जिला कांगड़ा के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य किया गया।

vads{k.kk/khu vof/k esa rSukr v/;{k o dk;Zdkjh vf/kdkfj;ksa dk fooj.k fuEu izdkj ls gS %&

v/;{k %&

| Øe la[;k | v/;{k dk uke | rSukrh dh vof/k |
|---|---|---|
| 1 | श्री राकेष कुमार महाजन | 01.04.2007 से 31.01.2011 तक |
| 2 | श्रीमति कृष्णा महाजन | 11.02.2011 से लगातार |

dk;Zdkjh vf/kdkjh %&

| | | |
|---|---|---|
| 1 | श्री आर0एस0 वर्मा | 01.04.2007 से 19.04.2007 |
| 2 | श्री एम0डी0 शर्मा | 23.04.2007 से 18.08.2007 |
| 3 | श्री आई0एस0 भारद्वाज (एस0डी0एम0) | 12.09.2007 से 04.10.2007 |
| 4 | श्री एम0डी0 शर्मा | 05.10.2007 से 11.03.2008 |
| 5 | श्री आर0एस0 वर्मा | 14.03.2008 से 18.06.2008 |
| 6 | श्री ललित कुमार | 19.06.2008 से लगातार |

¼[k½ uxj ifj"kn ujij dkxMk] ftyk dkxMk] fgekpy izns'k ds ys[kk vof/k 01-04-2007 ls 31-03-2011 rd vads{k.k esa ikbZ xbZ xEHkhj vfu;ferrkvksa dk lf{kIr lkjA

| Øe la[;k | vfu;ferrkvksa dk lf{kIr lkj | iSjk la[;k | jkf'k yk[kksa esa |
|---|---|---|---|
| 1 | अनुदान की राषि का 31.03.11 तक उपयोग न करना | 4 | 43.40 |
| 2 | गृहकर एवं दुकानों के किराये की बकाया राषियों की वसूली हेतु कार्यवाही न करना | 5 | 36.11 |
| 3 | देरी से निर्माण कार्य पूरा करने के कारण संविदाकार से दण्डात्मक राषि की वसूली न करना | 15 | 0.27 |
| 4 | श्री वरिन्द्र शर्मा वरिष्ठ लिपिक को अनुचित भुगतान करना | 16 | 0.11 |
| 5 | श्री विपिन कुमार वरिष्ठ लिपिक को अनुचित भुगतान करना | 18 | 0.11 |

¼x½ xr vads{k.k izfrosnu %&

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिषिष्ट ‘‘अ’’ पर दर्षाई गई है। यह देखने में आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर नगर परिषद द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है जो कि अत्यन्त चिन्ताजनक है। अतः नगर परिषद इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विषेष अभियान/कार्यवाही सुनिष्चित करे व अनुपालना से यथा समय इस विभाग को अवगत करे ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके।

# Hkkx&nks

## 1 orZeku vads{k.k %&

नगर परिषद नूरपुर, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेष के लेखों अवधि 04/07 से 03/11 का वर्तमान अंकेक्षण सर्वश्री तरवीज़ कुमार, (अनुभाग अधिकारी) तथा श्री भवनीष पुरी, (आर्टिकल सहायक) द्वारा दिनांक 21.11.2011 से 21.01.2012 के दौरान नूरपुर में किया गया। माह 04/07, 12/08, 02/10 व 03/11 को आय और माह 03/08, 12/08, 03/10 व 12/10 को व्यय की विस्तृत जाँच हेतु चुना गया है जिसके परिणामो को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपन कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद नूरपुर द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, किसी भी प्रकार की गलत सूचना अथवा सूचना जो प्रदान नहीं की गई है की जिम्मेवारी लेने से इन्कार करता है। विभाग की जिम्मेवारी केवल विस्तृत जाँच हेतु चयनित मासों तक सीमित है।

## 2 vads{k.k 'kqYd %&

नगर परिषद नूरपुर के लेखों अवधि 04/2007 से 03/2011 तक का अंकेक्षण शुल्क ₹47,600.00 बनता है, अंकेक्षण शुल्क की राषि को राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद नूरपुर से, परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा, हिमाचल प्रदेष षिमला–9 के नाम बैंक ड्राफ्ट बनाकर भेजने के लिए अंकेक्षण अधियाचना संख्या 226, दिनांक 21.01.2012 द्वारा अनुरोध किया गया।

## 3 foÙkh; fLFkfr %&

04/2007 से 03/2011 की अवधि के स्वयं के स्त्रोतों तथा अनुदानों की वित्तीय स्थिति का विवरण अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिषिष्ट ''क'' पर दर्षाया गया है तथा स्वर्ण जयन्ती रोजगार योजना के अर्न्तगत आय व व्यय की वित्तीय स्थिति का विवरण अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिषिष्ट ''ख'' ''ग'' पर दर्षाया गया है। इसके अतिरिक्त रोकड़ बही का बैंक से मिलान सम्बन्धित वित्तीय स्थिति विवरणी के साथ संलग्न है।

## 4 vuqnku dh jkf'k ₹43-40 yk[k dk 31-03-11 rd mi;ksx u djuk %&

अंकेक्षण अवधि में शहरी विकास विभाग व जिलाधीष कार्यालय इत्यादि से प्राप्त अनुदानों का विवरण अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिषिष्ट ''घ'' पर दिया गया है। अंकेक्षण में पाया गया कि राषि

₹43,40,352 अनुदानों का लम्बी अवधि से उपयोग नहीं किया गया है तथा कई विकास कार्य अभी तक प्रारम्भ। नहीं किए गए हैं। यह बहुत ही आपत्तिजनक है। नगर परिषद को यह परामर्ष दिया जाता है कि जिन अनुदानों का उपयोग निर्धारित अवधि में नहीं किया गया है को या तो सरकार को वापिस भेजा जाए अन्यथा इनके उपयोग हेतु सरकार/सम्बन्धित कार्यालय से आवष्यक स्वीकृति प्राप्त की जाए। इसके अतिरिक्त जिन अनुदानों का उपयोग कर लिया गया है लेकिन उपयोगिता प्रमाण पत्र अभी तक नहीं भेजे गए हैं के सम्बन्ध में अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5 <u>xgdj ,o nqdkuk d fdjk; dh jkf'k ₹36-11 yk[k dh cdk;k dh olyh gr dk;okgh u djuk</u> %&

उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार दिनांक 31.03.11 को ₹36,11,001 की राषि गृहकर एवं दुकानों के किराये के रूप में वसूली जानी शेष थी जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :–

| Øe l[;k | 'kh"k | 31-03-11 dk cdk;k jkf'k | fVIi.kh |
|---|---|---|---|
| 1 | गृहकर | 25,02,021 | परिषिष्ट में वर्णित |
| 2 | दुकानों एवं भवनों का किराया | 11,08,980 | परिषिष्ट में वर्णित |
| | dqy ;kx | ₹36]11]001 | |

निदेषक, शहरी विकास विभाग हिमाचल प्रदेष के पत्र संख्याः ULB-H(A)-1/87-9237-9284, dated 20-06-01 से अनुसार गृहकर एवं अन्य करों की 100% वसूली से निर्देष दिए गए थे तथा विफलता पर सम्बन्धित कार्यकारी अधिकारी को उत्तरदायी ठहराया गया था। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि सम्बन्धित कार्यकारी अधिकारी द्वारा उक्त पत्र द्वारा जारी दिषा निर्देषों एवं हिमाचल प्रदेष नगर पालिका अधिनियम 1994 के नियमों की अनुपालना नहीं की गई थी अन्यथा दिनांक 31. 03.11 को इतनी अधिक राषि वसूली योग्य शेष न रहती। अतः यह परामर्ष दिया जाता है कि बकाया राषियों की अविलम्ब वसूली हेतु समुचित पग उठाये जाऐं ताकि नगर परिषद से विकास कार्य प्रभावित न हों।

6 <u>jkf'k ₹2]265 dh fdjk, dh de ekx o olyh ckj</u> %&

नगर परिषद द्वारा दिनांक 03.01.2005 को निम्नलिखित दुकानें पट्टाधारकों को पट्टे पर दी गई। पट्टा अनुबन्ध की शर्त संख्याः 21 के अनुसार ''प्रत्येक पांच वर्षों के पष्चात पट्टा (किराये)

में 10% की बढ़ौतरी अपेक्षित थी जिसके परिणामस्वरूप माह 01/2010 से निम्न पट्टाधारकों के किराय में 10% की बढ़ौतरी की जानी थी। लेकिन मांग व वसूली रजिस्टर की जाँच उपरान्त पाया गया कि निम्न पट्टाधारकों के किराए में माह 01/2010 से 10% की बढ़ौतरी नहीं की गई व परिणामस्वरूप ₹2,265 की किराए की कम मांग व वसूली की गई जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :–

| Ø0 l0 | iVVk/kkjd dk uke | o"k | ekx o ikfIr jftLVj | mBkb xb ekx | fu/kkfjr ekx | fnukd 1-01-10 l 31-03-11 rd de mBkb xb ekx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सुधीर महाजन | 2010–11 | 135 | 500 | 550 | 50 x 15 = 750 |
| 2 | मोहेन्द्र पाल | 2010–11 | 135 | 505 | 556 | 51 x 15 = 765 |
| 3 | विकास चौधरी | 2010–11 | 137 | 500 | 550 | 50 x 15 = 750 |
| | | | | | dy ;kx | **₹2,265** |

अतः ₹2,265 की किराए की कम मांग व वसूली का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा उपरोक्त कम मांग/वसूल की गई किराए की राषि दोषी से वूसल करके अनुपालना से अंकेक्षण को सूचित किया जाए।

7 jV fyLV miyC/k u dju ckj &

वाऊचर संख्याः 40, दिनांक 05.09.09 द्वारा राषि ₹3,00,000 का भुगतान मैं0 ध्रुव रियल टायर शॉप को उनके बिल संख्याः 4697, दिनांक 30.08.09 द्वारा प्राप्त ट्रैक्टर के एम0आर0एफ0 कम्पनी के दो बड़े व दो छोटे टायर तथा उनकी टयूबों के लिए किया गया तथा फर्म Authorised Dealer दर्षाई गई है जिस से सम्बन्धित रेट लिस्ट ऑडिट को नहीं दिखाई गई। यह खरीद कोटेषनों के आधार पर की गई है जो कि नियमानुसार ठीक नहीं है क्योंकि एम0आर0एफ0 टायर एक बारांडिड कम्पनी है इस लिए यह खरीद रेट लिस्ट के आधार पर करनी अपेक्षित थी। अतः भविष्य में ऐसी खरीद रेट लिस्ट के आधार पर करनी सुनिष्चित की जाए।

8 okÅpj l[;k 41] fnukd 12@10] jkf'k ₹1]33]656

मैं0 हिमालय माडरन इन्जीनियरिंग वर्क्स देहरा को उनके बिल संख्याः 347, दिनांक 15.11.10 द्वारा 25 नग स्टील के बैंच दर ₹4700 प्रति के हिसाब से राषि ₹1,33,656 का निम्न विवरणानुसार भुगतान किया गया ।

| fcy l[;k | fnukd | fooj.k | nj | jkf'k |
|---|---|---|---|---|
| 347 | 15.11.10 | 25 नग स्टील के बैंच | 4,700 | 1,17,500.00 |
| | | | Vat @ 13.75% | 16,156.00 |
| | | | **Total** | 1]33]656-00 |

निविदाए देहरा की निम्नलिखित फर्मों से प्राप्त की गई थी।

(1) हिमालय माडरन इन्जीनियरिंग वर्क्स देहरा (₹4700)

(2) Diksha Modren Steel Welding works Dehra (₹4800)

(3) इन्डसट्रियल ट्रेडर्ज चण्डीगढ़ (₹4900)

उपरोक्त खरीद टैण्डर के आधार पर की जानी अपेक्षित थी। अतः खरीद को निविदाओं के आधार पर करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व कृत कार्यवाही से ऑडिट को अवगत करवाया जाए।

9 okÅpj l[;k 68] fnukd 01-12-10] jkf'k ₹67]830 ½&

उक्त वाऊचर द्वारा राषि ₹67,830 का भुगतान मैं0 Bharat Spun pipe company, Jassur को उनके बिल संख्याः 50 दिनांक 25.09.10 द्वारा प्राप्त RCC HUME PIPE NP-2 2900mm dia internal के 17 मद दर ₹3800 + Vat @ 5% के लिए किया गया। विपत्र की जाँच करने उपरान्त निम्नलिखित आपत्तियां पाई गई।

(1) खरीद के लिए जो निविदाएं आमन्त्रित की गई वह निम्न फर्मों से सम्बन्धित थी।

(i) Ganesh Engineering Works Jassur SPL.in All inds of repair trucks, JCB Earth Moving Machinery Pump E @ 4200

(ii) M/s Vishvkarma Body Builders-Jassur यहां पर जीप, बस, ट्रक की बाड़ी रिपेयर की जाती है @ 4300

(iii) Bharat Spun Pipe Company Jassur

उपरोक्त निविदाओं की जाँच करने पर पाया गया कि इस मद के व्यापारी केवल क्रमांक–III पर दर्षाई गई फर्म ही है अन्य दो फर्में HUME PIPE के व्यापारी नहीं हैं तथा यह कोटेषने किस आधार पर ली गई तथ्यों सहित अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(2) RCC HUME PIPE रेट कन्ट्रैक्ट की मद है इसके रेट कन्ट्रैक्ट की कापी आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए अगर भुगतान ज्यादा किया गया है तो दोषी से ज्यादा भुगतान की राषि की वसूली की जाए व कृत कार्यवाही से ऑडिट को अवगत करवाया जाए।

10 okÅpj l[;k 56 l 59] fnukd 14-03-08] jkf'k ₹99]317 ¼&

राशि ₹99,317 का भुगतान मैं0 चन्द इन्टरप्राईज़िज को उनके निम्नलिखित विपत्रों द्वारा सप्लाई किए गए बिजली के सामान के लिए किया गया।

| okÅpj l[;k | fcy l[;k | fnukd | jkf'k |
|---|---|---|---|
| 56 | 2832 | 02.01.08 | 46,772 |
| 57(1) | 2843 | 09.01.08 | 675 |
| 57(2) | 2851 | 18.01.08 | 600 |
| 57(3) | 2874 | 06.02.08 | 630 |
| 58 | 2849 | 15.01.08 | 38,250 |
| 59(1) | 3019 | 07.03.08 | 240 |
| 59(2) | 3022 | 10.03.08 | 12,150 |
| | | d|y ;kx | ₹99]317 |

रिकॉर्ड की जाँच करने उपरान्त पाया गया कि बिजली के सामान की सप्लाई के लिए वर्ष 2007–08 की कोटेषने जो आमन्त्रित की गई थी वह सप्ताहिक न्यूज पेपर हिमाचल केसरी धर्मषाला के माध्यम से की गई तथा जिस अखबार में कोटेषने आमन्त्रित की गई हैं वह अवधि 21 से 28 अप्रैल, 2007 की है जबकि कोटेषने प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 26.04.07 थी।

अतः ऑडिट को यह स्पष्ट नहीं किया गया कि जब अखबार ही 28.04.07 को प्रकाषित की गई तो 26.04.07 को कैसे इस विज्ञापन के माध्यम से कोटेषने प्राप्त की जा सकती है। अतः तथ्यों की छानबीन करके वस्तुस्थिति के बारे में ऑडिट को अवगत करें।

11 okÅpj l[;k 37] fnukd 12@10] jkf’k ₹51]200 %&

श्री सुरिन्द्र कुमार, सफाई ठेकेदार को माह 11/10 के सफाई ठेके का भुगतान उक्त वाऊचर द्वारा किया गया रिकॉर्ड की जाँच करने के उपरान्त पाया गया कि वर्ष 2010–11 के लिए ठेके पर जो कार्य आबन्टित किया गया की निविदाएं आमन्त्रित की गई थी का विज्ञापन हिमाचल केसरी धर्मषाला की सप्ताहिक अखबार में किया गया। यह विज्ञापन 21 मार्च, 2010 से 28 मार्च, 2010 तक की प्रति में किया गया। निविदाएं प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 26.03.10 थी। अतः ऑडिट को यह स्पष्ट किया जाए कि जब अखबार में विज्ञापन 28.03.10 को छपा तो निविदाएं अन्तिम तिथि 26.03.10 को कैसे प्राप्त की गई। निविदाओं की अन्तिम तिथि बीत जाने के बाद विज्ञापन देने का औचित्य बताया जाए तथा इसकी विभागीय छानबीन करने कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12 okÅpj l[;k 38] fnukd 12@10] jkf’k ₹45]770 %&

मैं0 चन्द इन्टर प्राईज़िज मेन बाजार नूरपुर को उनके द्वारा सप्लाई किए बिजली के सामान के लिए किया गया। इस फर्म को वर्ष 2010–11 के लिए बिजली के सामान की सप्लाई निविदाओं के आधार पर की गई थी।

रिकॉर्ड की जाँच करने उपरान्त पाया गया कि बिजली के सामान की सप्लाई के लिए जो निविदाएं आमन्त्रित की यह विज्ञापन हिमाचल केसरी के सप्ताहिक पत्रिका 21 मार्च से 28 मार्च के बीच दिया गया जबकि निविदाओं को स्वीकृत करने की अन्तिम तिथि 26.03.10 समय 12 बजे रखा गया था इस प्रकार जो विज्ञापन दिया गया उसका बाजारी प्रतिस्पर्दा का पूर्ण लाभ नहीं उठाया जा सका।

इसके अतिरिक्त उपरोक्त फर्म बाजाज कम्पनी की Authorised डीलर है। अतः इसमें कोटेषनों की बजाए रेट लिस्ट को ध्यान में रख कर कोटेषने स्वीकृत करनी चाहिए थी जिसे नजर अंदाज किया गया।

अतः राय दी जाती है कि भविष्य में Authorised Dealer से ही सामान खरीदा जाए तथा कोटेषने भी Authorised Dealer की स्वीकृत की जाए तथा सम्बन्धित कम्पनी की रेट लिस्ट को भी ध्यान में रखा जाए ताकि बाजारी प्रतिस्पर्धा का पूर्ण लाभ लिया जा सके।

13 okÅpj l[;k 28] fnukad 03-03-08] jkf'k ₹26]793 ¼&

उपरोक्त भुगतान श्री नत्थु राम ठेकेदार को फरवरी, 2008 की सफाई का भुगतान दर्षाया गया है ऑडिट द्वारा रिकॉर्ड की जाँच करने उपरान्त पाया गया नगर परिषद द्वार हिमाचल केसरी धर्मषाला सप्ताहिक (पत्रिका) समाचार पत्र में सफाई का कार्य ठेके पर देने के लिए विज्ञापन 21 जून से 28 जून तक की अखबार में छपवाया गया। यह पत्रिका डाक के माध्यम से जनता को भेजी जाती है विज्ञापन में निविदाओं को करने की अन्तिम तिथि 02.07.07 निर्धारित की गई। अतः निविदा आमन्त्रण की तिथि तथा अन्तिम तिथि में समय सीमा न के बराबर है जबकि नियमानुसार यह विज्ञापन कम से कम 15 दिन पहले प्रकाषित करना सुनिष्चित किया जाना चाहिए था। इस प्रकार इस कार्य को ठेके पर देने के लिए बाजारी प्रतिस्पर्धा का पूरा लाभ नहीं लिया जा सका।

14 okÅpj l[;k 19] ekg fnlEcj] 2008] jkf'k ₹29]209 ¼&

| | |
|---|---|
| कार्य का नाम | Resurfacing of steel in ward no. 2 Chowk of Nurpur town |
| ठेकेदार का नाम | श्री हीरा लाल |

Award Letter No. MCN/works-882-883, dated 29-09-08

उपरोक्त कार्य के लिए निविदाएं पत्र संख्याः 645–650, दिनांक 06.08.2008 के माध्यम से आमन्त्रित की गई जिस के लिए निम्नलिखित ठेकेदारों को टैण्डर फोर्म जारी किए गए।

(1) श्री हीरा लाल

(2) श्री विवके महाजन

(3) श्री मुकेष कुमार

(4) श्री भुपिन्द्रर सिंह

हीरा लाल तथा विवके द्वारा ही फार्म भरे गए तथा इस कार्य को करने के लिए हीरा लाल ने राषि ₹33,012.50 तथा विवके ने ₹35,792 भरी तथा मुकेष व भूपेन्द्र दोनों के फार्म खारिज किया गए। इस प्रकार दो ठेकेदारों द्वारा ही फार्म/टैण्डर भरा गया जबकि कम से कम तीन ठेकेदारों द्वारा टैण्डर भरे जाने अपेक्षित थे। इसके अतिरिक्त तुलनात्मक Comarative Statement मे किसी भी अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं।

अतः दो ठेकेदारों द्वारा टैण्डर भरने के उपरान्त ठेके का कार्य हीरा लाल को आबंटित करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए। भविष्य में ऐसी कृत कार्यवाही ऑडिट को आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाया जाए।

15 njh l fuek.k dk;l ijk djus d dkj.k lfonkdkjk l n.MkRed jkf'k ₹0-27 yk[k dh olyh u djuk %&

परिषद द्वारा करवाए गए निम्न निर्माण कार्यों के आबंटन पत्र की शर्त संख्या 4 के अनुसार यदि संविदाकार निर्माण कार्य को विहीत समय के अन्दर पुरा नहीं करता है तो उसे शेष कार्य की राषि के 1% भाग के बराबर की राषि का भुगतान प्रतिदिन के लिए दण्ड रूप में करना होगा जोकि कार्य मुल्य की राषि के 10% भाग से अधिक नहीं होगा। इन कार्यों को संविदाकारों द्वारा विहीत समय के भीतर पूर्ण नहीं किया गया तथा न ही परिषद द्वारा निर्माण कार्यों के लिए समय बढ़ौतरी स्वीकृत की गई थी। अतः इस संविदाकारों से दण्डात्मक राषि ₹26,632 की वसूली करनी अपेक्षित थी। राषि का विवरण निम्न प्रकार है :—

| Ø0 l0 | ok0 l0 | ekl | jkf'k | lfonkdkj dk uke | dk;l dk uke | n.MkRed jkf'k |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | 03/10 | 1,08,300 | श्री अषोक कुमार | चौधरियों के खूं से एच0सी0 यूरिनल तक सड़क को पक्का करना | 10,800 |
| 2 | 55 | 03/10 | 99,742 | श्री अषोक कुमार | चौधरियों के खूं से एच0सी0 यूरिनल तक सड़क को पक्का करना | 9,974 |
| 3 | 56 | 03/10 | 58,582 | श्री अषोक कुमार | चौधरियों के खूं से एच0सी0 यूरिनल तक सड़क को पक्का करना | 5,858 |
| | | | | | dy ;kx | ₹26]632 |

अतः परिषद दण्डात्मक राषि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करे अन्यथा राषि की वसूली करना सुनिष्चित करें।

16 Jh ofjUnz 'kekZ] ofj"B fyfid ls ₹11]200 dh olwyh ckjs %&

रिकॉर्ड की जाँच करने पर पाया गया कि श्री वरिन्द्र शर्मा वरिष्ठ लिपिक को इस पद पर 16 वर्ष सेवा काल पूरा करने उपरानत ACPs, दिनांक 11.10.2009 को दिया गया है जबकि सर्विस बुक के अनुसार उपरोक्त कर्मचारी को दिनांक 11.10.02 को आठ वर्ष की सेवा का लाभ दिया गया है इस प्रकार कर्मचारी को 16 वर्ष का ACPs, का लाभ 11.10.10 को देय बनता है। वित विभाग के कार्यालय आदेष संख्या Fin-(PR)B(7)-1/98, दिनांक 31 अगस्त, 2009 के अनुसार दिनांक 26 अगस्त, 2009 के बाद से यह लाभ सरकारी कर्मचारियों को देय नहीं है। अतः उपरोक्त कर्मचारी को परिषिष्ट ''ङ'' अनुसार ₹11,200 का अधिक भुगतान किया गया है। जिसकी वसूली करनी सुनिष्चित की जाए व कृत कार्यवाही आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाई जाए।

17 Jhefr eksfudk pIMkl h ls ₹4]422 dh olwyh ckjs %&

ऑडिट द्वारा श्रीमति मोनिका चपडासी की सेवा पंजिका की जाँच करने उपरान्त पाया गया कि उपरोक्त कर्मचारी को दिनांक 01.07.10 से आठ वर्ष सेवा काल पूरा करने उपरान्त ACPs का लाभ दिया गया है जोकि नियमों के विरूद्ध है वित्त विभाग के कार्यालय आदेष संख्याः Fin(PR)B(7)-1/98, दिनांक 31 अगस्त, 2009 के अनुसार यह लाभ दिनांक 26 अगस्त, 2009 के बाद से देय नहीं है अतः सम्बन्धित कर्मचारी को परिषिष्ट ''च'' अनुसार ₹4,422 का अधिक भुगतान किया गया है जिसकी वसूली करनी सुनिष्चित की जाए व कृत कार्यवाही आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाई जाए।

18 Jh fofiu dqekj] ofj"B fyfid ls ₹11]200 dh olwyh ckjs %&

ऑडिट द्वारा रिकॉर्ड की जाँच करने उपरान्त पाया गया कि श्री विपिन कुमार, वरिष्ठि लिपिक को इस पद पर 16 वर्ष सेवा काल पूरा करने उपरान्त ACPs  दिनांक 11.10.09 को दिया गया है जबकि सर्विस बुक के अनुसार उपरोक्त कर्मचारी को दिनांक 11.10.2002 को आठ वर्ष की सेवा का लाभ दिया गया है इस प्रकार कर्मचारी को 16 वर्ष का ACPs  का लाभ 11.10.10 को देय बनता है वित्त विभाग के कार्यालय आदेष संख्या Fin(PR)B(7)-1/98, दिनांक 31 अगस्त, 2009 के अनुसार दिनांक 26 अगस्त, 2009 के बाद से यह लाभ सरकारी कर्मचारियों को देय नहीं हैं। अतः उपरोक्त कर्मचारी को परिषिष्ट ''छ'' अनुसार ₹11,200 का अधिक भुगतान किया गया है जिसकी वसूली करनी सुनिष्चित की जाए व कृत कार्यवाही आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाई जाए।

19 Jh yfyr dqekj] dk;Zdkjh vf/kdkjh ls ₹570 dh olwyh ckjs %&

नोटिफिकेषन संख्याः GAD-D-3(C)14-2/97, दिनांक 21 सितम्बर, 2010 अनुसार लाईसैंस फीस की दिनांक 01.10.10 से दरें संषोधित हो गई हैं तथा यह लाईसैंस फीस 114 की बजाए 228 काटनी अपेक्षित थी। जिसका कुल योग ₹570 बनता है जिसकी वसूली रसीद संख्याः 95/40 दिनांक 11.01.12 द्वारा कर ली गई है। अतः इसकी पुष्टि अंकेक्षण द्वारा कर ली गई है।

20 Jh fojsUnz 'kekZ DydZ ls ₹3]742 dh olwyh ckjs %&

वित्त विभाग के कार्यालय आदेष संख्याः Fin(PR)B(7)51/98, दिनांक 15.12.98 के अनुसार अगर कोई कर्मचारी एक ही पद पर 16 वर्ष तक बिना पदोन्नती के कार्य करता है तो उसे 16 वर्ष उपरान्त ACPs के अर्न्तगत एक वेतन वृद्धि दी जाएगी इस प्रकार कर्मचारी को 01.01.06 से ग्रेड पे ₹1,950 देय बनती है जबकि उसे ₹2,000 ग्रेड पे के रूप में दिया गया है इस प्रकार 01.01.06 से 31.03.11 तक ₹3,742 (परिषिष्ट ''ज'' अनुसार) का अधिक भुगतान किया गया जिसकी वसूली करनी सुनिष्चित की जाए।

21 Jh d".k pUn feL=h ls ₹2]964 dh olwyh ckjs %&

वित्त विभाग के कार्यालय आदेष संख्याः Fin(PR)B(7)51/98, dated 15-12-98 के अनुसार अगर कोई कर्मचारी एक ही पद पर 8 वष्र तक पदोन्नत नहीं होता तो उसे 8 वर्ष उपरान्त ACPs के अर्न्तगत अगले पे स्केल के ऊपर प्रोमोट किया जाएगां इस प्रकार उपरोक्त कर्मचारी को अगले पे स्केल की ग्रेड पे ₹1,950 देय थी। जबकि उसे ₹2,000 ग्रेड पे दी गई इस प्रकार उपरोक्त कर्मचारी को परिषिष्ट ''झ'' अनुसार दिनांक 01.07.07 से 31.03.11 तक ₹2,964 का अधिक भुगतान किया गया। जिसकी वसूली करनी सुनिष्चित की जाए व कृत कार्यवाही आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाई जाए।

22 okÅpj la[;k% 63] fnukad 29-05-10] jkf'k ₹4]500 %&

मैं0 अमर बैटरी and Auto Store जसूर के बिल संख्याः 3219, दिनांक 18.03.10 ₹4,500 की Excide Battery, Excide SF88LTK का भुगतान निम्न प्रकार से दर्षाया गया।

| | |
|---|---|
| Excide 88 LTK | 5349.00 |
| Old Battery Replaced | 849.00 |
| Balance | 4500.00 |

उपरोक्त बैटरी की अथोराईज डीलर होने के साथ सम्बन्धित रेट लिस्अ ऑडिट को नहीं दिखाई गई जिसे भविष्य में दिखाना सुनिष्चित किया जाए।

23 xkMh uEcj 6472 dh ykx cqd d lR;kiu ckjs %&

उपरोक्त गाड़ी की लॉग बुक की जाँच करने उपरान्त पाया गया कि दिनांक 01.09.09 से 31.12.10 तक गाड़ी में डलवाए गए तेल व अन्य खर्चों की तथा चलाई गई गाड़ी किसी भी कर्मचारी एवं ड्राईवर द्वारा सत्यापित हस्ताक्षर नहीं किया गया है। अतः लॉग बुक को कम्पलीट/पूर्ण किया जाए व कृत कार्यवाही आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाई जाए।

24 y?k vkifÙk foojf.kdk %& यह अलग से जारी नहीं की गई है।

25 fu"d"k %& खातों में सुधार की आवष्यकता है।

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेष षिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्या :– V(8)2012-फिन(एल0ए0)–खण्ड–1 दिनांक, षिमला–171009,
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निदेषक शहरी विकास, हिमाचल प्रदेष षिमला–171002.

ithdr %&

2. सचिव, नगर परिषद नूरपुर, जिला कांगड़ा (हिमाचल प्रदेष) को इस आषय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों का सटिप्पण उतर प्रतिवेदन जारी होने से एक माह के भीतर इस विभाग को प्रेषित करें।

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेष षिमला–171009.

¼vuli dqekj ?kk : ½

## ¼d½ vkd{k.k izfrosnu vof/k 04@84 ls 03@86

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | पैरा 12(ई) | अनिर्णीत | |

## ¼[k½ vkd{k.k izfrosnu vof/k 04@86 ls 03@88

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | पैरा 5(बी) | अनिर्णीत | |
| 2 | पैरा 5(सी) | अनिर्णीत | |
| 3 | पैरा 5(डी) | अनिर्णीत | |
| 4 | पैरा 10 | अनिर्णीत | |
| 5 | पैरा 11 | अनिर्णीत | |
| 6 | पैरा 15 | अनिर्णीत | |
| 7 | पैरा 16(डी) | अनिर्णीत | |
| 8 | पैरा 16(ई) | अनिर्णीत | (केवल 35 बोरी सीमेन्ट की वूसली मापन पुस्तिका संख्याः 17/91 व 19/21 द्वारा कर ली गई) |
| 9 | पैरा 16(एफ) | अनिर्णीत | |

## ¼x½ vkd{k.k izfrosnu vof/k 04@88 ls 03@90

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | पैरा 3(ङ) | अनिर्णीत | |
| 2 | पैरा 7 | अनिर्णीत | |
| 3 | पैरा 9(2) | अनिर्णीत | |
| 4 | पैरा 10 | अनिर्णीत | |
| 5 | पैरा 11 | अनिर्णीत | आंषिक रूप से अनिर्णीत |
| 6 | पैरा 12(बी)(2) | अनिर्णीत | |
| 7 | पैरा 12(सी)(2) | अनिर्णीत | |
| 8 | पैरा 12(डी)(2) | अनिर्णीत | |
| 9 | पैरा 12(ई) | अनिर्णीत | |
| 10 | पैरा 12(एच)(1) | अनिर्णीत | |
| 11 | पैरा 12(आई)(3) | अनिर्णीत | |
| 12 | पैरा 12(एम) | अनिर्णीत | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13 | पैरा 14(4) | अनिर्णीत | |
| 14 | पैरा 14(6) | अनिर्णीत | |
| 15 | पैरा 14(11) | अनिर्णीत | |
| 16 | पैरा 14(12) | अनिर्णीत | |

¼?k½ vid{k.k ifronu vof/k 04@90 ls 03@2000

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | पैरा 3(ग) | अनिर्णीत | |
| 2 | पैरा 5(ख) | अनिर्णीत | अनुदानों की सूची |
| 3 | पैरा 5(ग) | अनिर्णीत | अनुदानों की सूची |
| 4 | पैरा 5(घ) | अनिर्णीत | |
| 5 | पैरा 6 | अनिर्णीत | |
| 6 | पैरा 7 | अनिर्णीत | |
| 7 | पैरा 8(क) | अनिर्णीत | |
| 8 | पैरा 8(ख) | अनिर्णीत | |
| 9 | पैरा 8(ग) | अनिर्णीत | |
| 10 | पैरा 9(क) | अनिर्णीत | |
| 11 | पैरा 9(ख) | अनिर्णीत | |
| 12 | पैरा 10(क)(2) | अनिर्णीत | |
| 13 | पैरा 10(क)(3) | अनिर्णीत | |
| 14 | पैरा 10(ख) | अनिर्णीत | |
| 15 | पैरा 10(ग) | अनिर्णीत | |
| 16 | पैरा 10(घ) | अनिर्णीत | |
| 17 | पैरा 10(ङ) | अनिर्णीत | |
| 18 | पैरा 10(च) | अनिर्णीत | |
| 19 | पैरा 12(ज) | अनिर्णीत | |
| 20 | पैरा 12(थ) | अनिर्णीत | |
| 21 | पैरा 12(ब) | अनिर्णीत | |
| 22 | पैरा 12(म) | अनिर्णीत | |
| 23 | पैरा 12(य) | अनिर्णीत | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 | पैरा 12(व) | अनिर्णीत | |
| 25 | पैरा 13(ख) | अनिर्णीत | |
| 26 | पैरा 13(ग) | अनिर्णीत | |
| 27 | पैरा 13(च)(1) | अनिर्णीत | |
| 28 | पैरा 13(ज)(3) | अनिर्णीत | |

¼3½ vd{k.k ifronu vof/k 04@2000 ls 03@2007

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | पैरा 1 | अनिर्णीत | |
| 2 | पैरा 2 | निर्णीत | (नवीनतम वित्तीय स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा में दर्षाई गई है) |
| 3 | पैरा 2(i) | अनिर्णीत | |
| 4 | पैरा 2(ii) | अनिर्णीत | |
| 5 | पैरा 2(iii) | अनिर्णीत | |
| 6 | पैरा 2(iv) | अनिर्णीत | |
| 7 | पैरा 2(v) | अनिर्णीत | |
| 8 | पैरा 2(vi) | अनिर्णीत | |
| 9 | पैरा 2(vii) | अनिर्णीत | |
| 10 | पैरा 2(viii) | अनिर्णीत | |
| 11 | पैरा 3 | अनिर्णीत | |
| 12 | पैरा 4(i) | निर्णीत | (प्रस्ताव संख्याः 148, दिनांक 07.07.08 की जाँच उपरान्त) |
| 13 | पैरा 4(ii) | अनिर्णीत | |
| 14 | पैरा 4(iii) | अनिर्णीत | |
| 15 | पैरा 4(iv) | अनिर्णीत | |
| 16 | पैरा 4(v) | निर्णीत | (बकाया राषि में डाल दिया गया है रजिस्टर पेज संख्याः 129 खाता संख्याः 34 की जाँच उपरान्त) |
| 17 | पैरा 4(vi) | निर्णीत | (आगामी वसूली में पेज संख्याः 131, क्रमांक 44 पर डाल दिया गया है) |
| 18 | पैरा 4(vii) | अनिर्णीत | |
| 19 | पैरा 4(viii)(a) | अनिर्णीत | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 20 | पैरा 4(viii)(b) | अनिर्णीत | |
| 21 | पैरा 4(viii)(c) | अनिर्णीत | |
| 22 | पैरा 4(viii)(d) | अनिर्णीत | |
| 23 | पैरा 4(viii)(e) | अनिर्णीत | |
| 24 | पैरा 4(viii)(f) | अनिर्णीत | |
| 25 | पैरा 4(ix)(a) | अनिर्णीत | |
| 26 | पैरा 4(x)(a) | अनिर्णीत | |
| 27 | पैरा 4(x)(b) | अनिर्णीत | |
| 28 | पैरा 4(xi)(a) | निर्णीत | (रसीद Conter poul देख ली है) |
| 29 | पैरा 4(xii) | अनिर्णीत | |
| 30 | पैरा 4(xiii) | अनिर्णीत | |
| 31 | पैरा 4(xiv) | अनिर्णीत | |
| 32 | पैरा 4(xv)(a) | अनिर्णीत | |
| 33 | पैरा 4(xv)(b) | अनिर्णीत | |
| 34 | पैरा 4(xvi) | अनिर्णीत | |
| 35 | पैरा 4(xvii) | अनिर्णीत | |
| 36 | पैरा 5(i) | अनिर्णीत | |
| 37 | पैरा 5(ii) | निर्णीत | (राषि ₹166 की वसूली की जाँच उपरान्त एवं दिए गए स्पष्टीकरण अनुसार) |
| 38 | पैरा 5(iii) | निर्णीत | (दिए गए उत्तर अनुसार) |
| 39 | पैरा 5(iv) | निर्णीत | (राषि ₹963 की वसूली देख ली है) |
| 40 | पैरा 5(v) | अनिर्णीत | |
| 41 | पैरा 5(vi) | अनिर्णीत | |
| 42 | पैरा 5(vii) | अनिर्णीत | |
| 43 | पैरा 5(viii) | अनिर्णीत | |
| 44 | पैरा 6(i)(क,ख) | अनिर्णीत | |
| 45 | पैरा 6(ii) | अनिर्णीत | |
| 46 | पैरा 6(iii) | निर्णीत | (रसीद देख ली है एवं दिए गए उत्तर अनुसार) |
| 47 | पैरा 6(iv) | निर्णीत | (रसीद संख्या 100/40,दिनांक 11/12 द्वारा वसूली की जाँच की गई) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 48 | पैरा 6(v) | अनिर्णीत | |
| 49 | पैरा 6(vi) | अनिर्णीत | |
| 50 | पैरा 6(vii) | निर्णीत | (रसीद संख्याः 87/95, दिनांक 23.07.08 ₹55,000 व Auction Proceeding की जाँच उपरान्त) |
| 51 | पैरा 6(viii) | निर्णीत | (रसीद संख्याः 99/40, दिनांक 11.01.12, ₹165 की वसूली देख ली) |
| 52 | पैरा 6(ix) | अनिर्णीत | |
| 53 | पैरा 6(x) | अनिर्णीत | |
| 54 | पैरा 6(xi) | निर्णीत | (भण्डार रजिस्टर/MAS रजिस्टर बी–1 में प्रविष्टि देख ली) |
| 55 | पैरा 6(xii) | निर्णीत | (दिए गए उत्तर अनुसार) |
| 56 | पैरा 6(xiii) | अनिर्णीत | |
| 57 | पैरा 6(xiv) | अनिर्णीत | |
| 58 | पैरा 6(xv) | निर्णीत | (अनुपालना की जाँच उपरान्त) |
| 59 | पैरा 7(i) | निर्णीत | (रसीद संख्याः 96/40, दिनांक 11.01.2012 की जाँच के उपरान्त) |
| 60 | पैरा 7(ii) | अनिर्णीत | |
| 61 | पैरा 7(iii) | अनिर्णीत | |
| 62 | पैरा 7(iv) | अनिर्णीत | |
| 63 | पैरा 7(v) | निर्णीत | (चालान की जाँच के उपरान्त) |
| 64 | पैरा 7(vi) | अनिर्णीत | |
| 65 | पैरा 7(vii) | निर्णीत | (दिए गए उत्तर अनुसार) |
| 66 | पैरा 7(viii) | अनिर्णीत | |